मेरी सुरक्षा मेरी ज़िम्मेदारी...!!!

प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के निजी भाग (Private Parts) किसी भी व्यक्ति के देखने और छूने के लिए नहीं बने हैं। नीचे दी हुई फोटो में पहचानें वह भाग कौन से हैं:

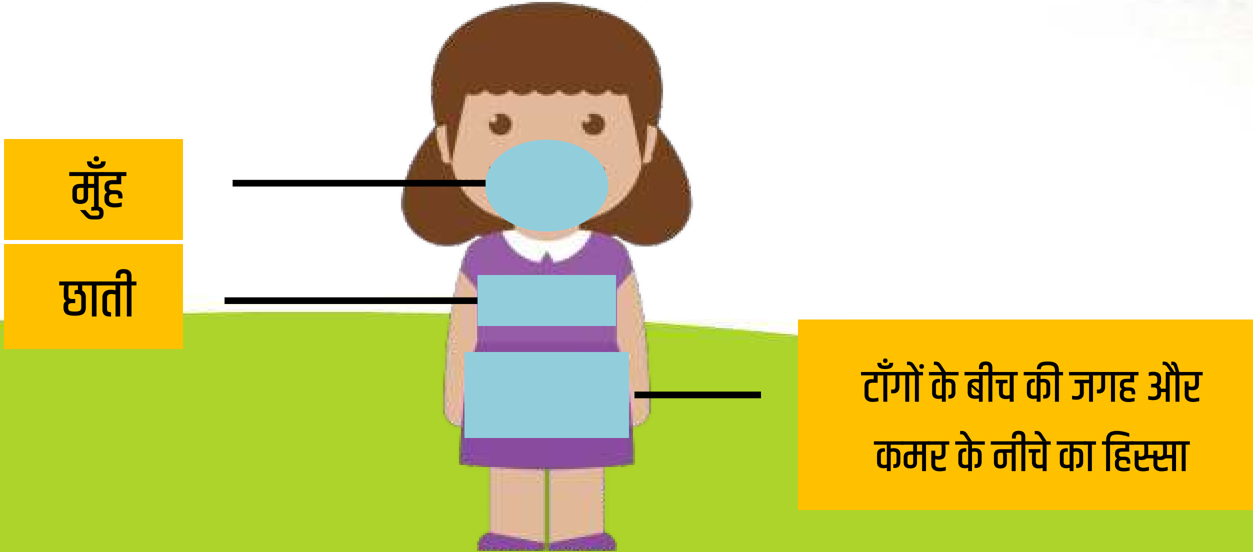

क्या आप जानते हैं???

- ✓ हम अक्सर अपने निजी भागों को ढक कर रखते हैं.
- ✓ हमारा मुँह भी हमारे शरीर का निजी भाग हैं लेकिन अन्य निजी भागों की तरह, हम इसे छुपा कर नहीं रखते है. अपने अन्य निजी भागों कि तरह, अपने मुँह को भी किसी को ना छूने दें.
- ✓ आपका शरीर आपकी पहचान हैं. यह आपकी ज़िम्मेदारी है. किसी भी व्यक्ति को आपके निजी भागों को छूने का अधिकार नहीं हैं.

क्या आप जानते हैं कि सुरक्षित स्पर्श क्या होता हैं?

जो स्पर्श हमें सुरक्षा, प्यार और देखभाल का एहसास दिलाता है वह सुरक्षित स्पर्श है। जैसे कि मम्मी का गले लगाना, पापा का थपकी देना, दादा दादी का प्यार करना आदि।

क्या आप जानते हैं कि असुरक्षित स्पर्श क्या होता हैं?

जब आपको किसी व्यक्ति का छूना गन्दा लगता हैं तो वह असुरक्षित स्पर्श है। जैसे कि ज़बरदस्ती गोद में बिठाना, चूमना, प्राइवेट पार्ट्स को छूना, गन्दी निगाहों से देखना आदि। हमें इस स्पर्श को रोकने के लिए जोर से चिल्लाना चाहिए।

यदि आपको कोई असुरक्षित
स्पर्श करे तो आप क्या करोगे?

STEP-1

मैं जोर से चिल्लाऊंगा / चिलाऊँगी और ऐसे स्पर्श का विरोध करूँगा / करुँगी.

STEP-2

मैं बहादुरी दिखाऊंगा / दिखाउंगी और ऐसी किसी भी घटना से नहीं घबराऊँगा / घबराऊँगी.

STEP-3

मैं उस स्थान को छोड़ कर किसी सुरक्षित (Safe) स्थान कि ओर भागूंगा / भागूंगी।

STEP-4

मैं अपने माता पिता को यह बात जरूर बताऊंगा / बताउंगी।

उनसे छुपाऊंगा / छुपाउंगी नहीं।

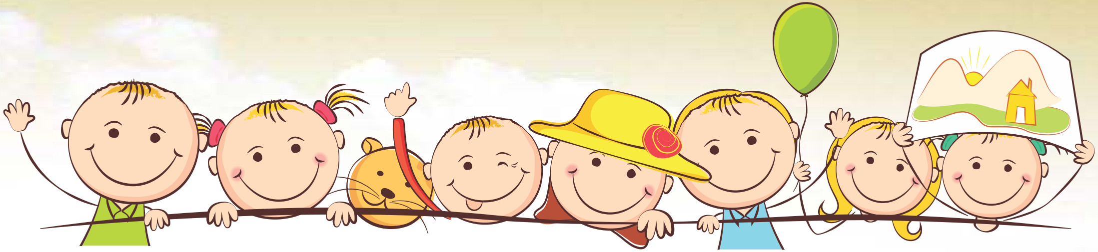

मेरी सुरक्षा मेरा अधिकार हैं
ना समझो नादान मेरी भी एक पहचान हैं

बच्चों की रक्षा करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है

बच्चे हैं भगवान का रूप,

इनको **हैवानों** से बचाना है

बच्चों पर **लैंगिक अपराध**

करने वालों को जेल पहुँचाना है

बच्चों पर लैंगिक हमला व छेड़खानी
जीवन भर अपराधी की आँखों में पानी।

Don't Touch Me !
कोई व्यक्ति बच्चों पर लैंगिक हमला करता पाया जाएगा, वह कम से कम तीन साल अधिकतम पांच साल व आर्थिक दंड की सजा पाएगा।

LISTEN

We All Have To Be United...

SEXUAL HARASSMENT

Against Child Is To Be Fighted

सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता मत फैलाना

गाना या शब्द देख कर गुनगुनाना!

बच्चों की सुरक्षा हम सबकी ज़िम्मेदारी है

संभल जाओ! **अश्लीलता पड़ सकती भारी है!**

आईपीसी धारा 294 के अंतर्गत
सार्वजनिक स्थान पर अश्लील
कार्य करना कानूनन अपराध है

इसके तहत आपको आर्थिक दंड
या तीन महीने का कारावास
या दोनों भी हो सकते हैं !

बच्चों की रक्षा करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है

जो कोई व्यक्ति बच्चों पर लैंगिक हमला करता पाया जाएगा, पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत उसे कम से कम तीन साल, अधिकतम पांच साल का कारावास और जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं|

बच्चो को अश्लील तस्वीर/फिल्म दिखाना या उनके निजी भागों की तस्वीर लेना कानूनन अपराध है. पोक्सो एक्ट की धारा 14 के तहत कम से कम तीन साल का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं|

बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न करना कानूनन जुर्म है. पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत कम से कम तीन साल का कारावास और जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं|

किसी भी बच्चे के निजी भागों को छूने तथा बच्चे को शारीरिक रूप से असहज महसूस करवाना कानूनन जुर्म है. पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत कम से कम तीन साल और अधिकतम पांच साल की सजा पाएगा ।

बच्चों पर लैंगिक अपराध करने वालो को जेल पहुँचाना है

हरियाणा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी
महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा

यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर अश्लील कार्य करता है तो उसे आईपीसी की धारा 294 के तहत तीन महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं !

सार्वजनिक स्थान या उसके आस पास कोई अश्लील गाना, कथागीत या शब्द गाना या बोलना आईपीसी की धारा 294 के तहत एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर आईपीसी की धारा 294 के तहत तीन महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं !

हरियाणा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी
महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा

जब कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे के साथ उसके मना करने के बावजूद संपर्क करता है तो उसे आईपीसी की धारा 354-D के तहत तीन साल का कारावास या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं !

जब कोई व्यक्ति बच्चे को प्राइवेट कार्य करते हुए देखेगा या चित्र खीचेगा या उसे प्रकाशित करेगा तो उसे आईपीसी की धारा 354-C के तहत तीन साल या अधिकतम 7 साल का कारावास या जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं!

किसी भी बच्चे का कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला (Penetrative Sexual Assault) करता पाया जायेगा तो वह पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत कम से कम 7 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास और ज़ुर्माने से भी दंडनीय होगा.

अनिवार्य रिपोर्टिंग
(Mandatory Reporting under POCSO Act)

पोक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत, यौन दुर्व्यवहार के मामले की रिपोर्ट करना अनिवार्य है. इसकी जानकारी विशेष किशोर पुलिस यूनिट (Special Juvenile Police Unit) या स्थानीय पुलिस स्टेशन में उपलब्ध करवाए.

अगर कोई यौन दुर्व्यवहार को अभिलिखित करने में विफल रहता है तो उसे 6 महीने तक की सजा या जुरमाना या दोनों भी हो सकते है.